न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. अमराराम माली पुत्र श्री डुगाराम जाति मालि निवासी बिदियाद तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तेजा पुत्र डुंगा जाति माली निवासी
2. पांचू पुत्र डुंगा जाति माली
3. मुकेश पुत्र गोरधनराम जाति माली सभी निवासी बिदियाद
4. छोटी देवी पुत्री गोरधनराम जाति माली हाल निवासी तिवाडियों की ढाणी परबतसर
5. दुर्गादेवी पुत्री गोरधनराम जाति माली हाल निवासी रिया आलनियास नागौर
6. मंजुदेवी पुत्री गोरधनराम जाति माली हाल निवासी तारागढ की ढाणी परबतसर
7. लालीदेवी पुत्री गोरधनराम जाति माली हाल निवासी तिवाडियो की ढाणी परबतसर
8. सुमनदेवी पुत्री गोरधनराम जाति माली निवासी बिदियाद परबतसर
10. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत् :– घोषणा,, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सुबरात अली अधिवक्ता वादी व
श्री महेन्द्र नाथ अधिवक्ता प्रतिवादी 1,2,3 व 5

मुकदमा नम्बर :– 2022/240

निर्णय दिनांक :– 07.01.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुबरात अली ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम बिदियाद की राजस्व सीमा के पुराने खसरा नम्बर 225 व नये खसरा नम्बर 742 खाता संख्या नया 346 कल रकबा 6.14 हैक्टेयर 37 बीघा 19 बिस्वा, किस्म बारानी 1 वादी के पिता डूंगाराम पुत्र चिमनाराम माली के नाम राजस्व रैकर्ड में वादी/प्रार्थी के दादा स्वर्गीय श्री चिमनाराम माली की मृत्यु पश्चात दर्ज हुई थी। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एक ही परिवार के है। वादी के पिता डूंगाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त पैतक जायदाद राजस्व भूमि पुराना खसरा संख्या 225 नया खसरा नम्बर 742 वादी व वादी के सभी भाईयों के नाम सहखातेदार दर्ज हो गयी, वादी के एक भाई धन्ना पुत्र डूंगा की नाऔलाद मृत्यु हो जाने से पुराना खसरा नम्बर 225 जमाबंदी संवत 2050–2053 अनुसार धन्ना पुत्र डुगा का नाम डिलिट कर गोरधन, अमरा, तेजा, पांचू पिता डूंगा कौम माली सा.देह खातोर कुल चार व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गयी जिससे वादी के पिता के वशंज वादी व वादी के भाईयों में प्रत्येक के 1/4 संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गयी। जिसकी जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। उक्त खसरा संख्या पुराना 225 व नया खसरा नम्बर 742, खाता संख्या नया 346 में नामान्तरण संख्या 1699 दिनांक 07.04.2006 द्वारा खसरा नम्बर 742/1 रकबा 0.34 है। रेलवे लाईन भारत सरकार व खसरा नम्बर 742/3 रकबा 0.24 है। रेलवे लाईन भारत सरकार रेलवे विभाग के नाम दर्ज हो गई एवं उक्त खसरा संख्या 742 के इस विभाजन के पश्चात खसरा संख्या 742 के बाकी बजे रकबा 5.56 हैक्टेयर को वादी व

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

वादी के भाइयों के नाम बंटवारा करते हुए खातेदारी दर्ज हुई जो कि इस प्रकार है कि – खसरा नम्बर 742/4 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, गोरधराम पुत्र डुगा के नाम दर्ज हुआ व खसरा नम्बर 742/5 रकबा 1.53 हैक्टेयर पांचुराम पुत्र डुगाराम के नाम हुआ व खसरा नम्बर 742/6 रकबा 1.5350 हैक्टेयर तेजाराम पुत्र डुंगाराम के नाम दर्ज हुआ एवं खसरा नम्बर 742 व खसरा नम्बर 742/2 रकबा 1.1950 हैक्टेयर लिपिकिय भूल एवं सहवन से त्रुटिवश अमरा पुत्र डुंगा हिस्सा 1/4, गोरधन पुत्र डुंगा हिस्सा 1/4, तेजा पुत्र डुंगा हिस्सा 1/4 व पांचू पुत्र डुंगा हिस्सा 1/4 गलत दर्ज हो गया जबकि उक्त खसरा एकमात्र वादी के नाम से दर्ज होना था जो कि सहवन से त्रुटिवश वादी के भाइयों को सम्मिलित करते हुये दर्ज हो गया। उक्त खसरा नम्बर 742 के विभाजन पश्चात नये खसरा नम्बर 742 व 742/2 खाता संख्या नया 7 रकबा 1.1950 हैक्टेयर वादी के एकमात्र नाम दर्ज किया जाना था जो कि सहवन से वादी के भाईयों का नाम व हिस्सा अंकित करते हुये दर्ज हो गया जो कि प्रथम दृष्टता गलत अंकन है। वादी के भाई प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व वादी के भाई गोरधन के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 को उक्त विभाजन में अलग–अलग खसरा नम्बर अंकित कर उक्त खसरे का बंटवारा कर हिस्सा देदिया गया जो कि क्रमशः खसरा नम्बर 742/6 रकबा 1.53 हैक्टेयर प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 तेजाराम पुत्र डुंगाराम के नाम व खसरा नम्बर 742/5 रकबा 1.5350 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 पांचुराम पुत्र डुंगाराम नाम, खसरा नम्बर 742/4 रकबा 1.2950 हैक्टेयर गोरधन पुत्र डुंगाराम के नाम दर्ज हुआ जो कि गोरधन की मृत्यु के पश्चात गोरधन के वारिसान प्रतिवादी/ अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के नाम दर्ज है। उक्त विभाजन में वादी को भी अपना स्वतंत्र हिस्सा दिया जाना था लेकिन त्रुटिवश सहवन से वादी के हिस्से के खसरा नम्बर 742, 742/2 कुल रकबा 1.1950 हैक्टेयर में वादी के भाइयों का नाम व हिस्सा अंकित हो गया जो कि प्रथम दृष्टतया त्रुटिपूर्ण अंकन होना दर्शित है जो कि लिपिकिय त्रुटी से अंकित हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है, मौके पर बाड़, सीवे आदि लगाकर अपना अपना हिस्सा अलग कर रखा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 742, 742/2 वादी के एकमात्र हिस्से का है जिस पर एक मात्र काब्जा काश्त वादी का है। जिसकी खातेदारी में त्रुटिवंश वादी के भाइयों का नाम व हिस्सा अंकित हो गया है जिसे वादी हटवाने व खसरा संख्या 742, 742/2 की खातेदारी घोषणा अपने नाम से करवाने एवं रैकर्ड दुरूस्ती करवाने का कानूनन अधिकारी है। राजस्व जमाबन्दी संवत् 2065–2065 से वादी एवं वादी के भाइयों के हिस्से का सही इन्द्राज है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी व रैकर्ड में खसरा नम्बर 742 का बंटवारा किये जाने के पश्चात वादी के एकमात्र हिस्से के खसरा नम्बर 742, 742/2 की जमाबंदी में वादी के भाइयों के नाम त्रुटिवंश अंकित हो गये है जिन्हें हटाकर रैकर्ड दुरूस्त किया जाने की इस्तदुआ चाही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादीगणक के नोटिस विधिवत रूप से तामिल सुदा प्राप्त हुए। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके पश्चात पत्रावली साक्ष्य में तलब की गई जिसमें वादी स्वंय के बयान लिये गये, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु तलब की गई। दिनांक 28.08.

2023 को प्रतिवादी संख्या की आरे से इकबाली जवाब पेश किया जिसमें प्रतिवी संख्या 5 ने वाद पत्र का पैरा संख्या 15 प्रार्थना वाद है जो कि सही होने से स्वीकार होकर कथन है कि ग्राम बिदियाद की राजस्व सीमा के खसरा नम्बर 742, 742/2 रकबा 1.1950 हैक्टेयर वादी के नाम से घोषण की जाकर रैकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो जवाब पेशकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 को कोई आपत्ति नहीं है तथा दिनांक 18.11.2024 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के लोग है जिनकी पैतृक राजस्व भूमि ग्राम बिदियाद की राजस्व सीमा के खसरा नम्बर 742 की थी जो कि पक्षकारान के पूर्वजों से प्राप्त हुई जिसका बंटवारा पक्षकारान ने पूर्व में ही रजीखुशी कर लिया था तथा वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। उक्त भूमि के खसरा नम्बर 742 के विभाजन के समय वादी अमराराम के एकमात्र हिस्से के खसरा नमबर 742, 742/2 रकबा 1.1950 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व गोरधन का नाम वाददी के साथ सहवन से अंकित हो गया जिसे वादी हटवा कर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाता है तो प्रतिवीगण संख्या 1,2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार एक पक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 5 की और से इकबालिया जवाब पेश करने व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 की ओर से राजीनामा पेश करने पर बहस वकील वादी की सुनी गई तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुए मुताबिक दस्तावेजात एवं इकबालिया जवाब एवं राजीनामानुसार दावा स्वीकार किया जाना जाहिर किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का प्रेक्षण किया गया तो दावा वादी मुताबिक दस्तावेज एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब व राजीनामानुसार स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं होने से दावा स्वीकार किया जाना उचित समझते है। वकील वादी ने दावे के साथ प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–2 जमाबन्दी नकल सम्वत 30 से 33, प्रदर्श–3 जमाबन्दी नकल सम्वत 37–40, प्रदर्श–4 नामांतकरण संख्या 1699, प्रदर्श–5ए जमाबन्दी सम्वत 2065 – 2065, प्रदश–6ए जमाबंदी नकल सम्वत 2071–2074, प्रदर्श–7ए जमाबंदी सम्वत 2075–2078 आदी दस्तावेज पेश किए साथ ही प्रतिवादी संख्या 5 ने इकबालिया जवाब में पेरा संख्याा 01 से 15 को स्वीकार किया है एवं प्रतिवादीगण 1,2,3 ने राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में दावे को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बिदियाद की राजस्व सीमा के खसरा नम्बर 742, 742/2 रकबा 1.1950 हैक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पिता गोरधन का नाम हटाया जाकर वादी के एकमात्र हिस्से की घोषित की जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार परबतसर को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टोडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर